

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

पत्र संख्या-यां०प्र०-20/यंत्र-संयंत्र (E-Auction)-01-03/2021 -

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,  
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

स्मार पत्र

मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण/सीमांचल उपभाग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार।  
मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), रा०उ० पथ उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार।  
प्रबंध निदेशक,  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, बिहार, पटना।  
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल (रा०उ०प० अंचल सहित),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार।  
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल (रा०उ०प० प्रमंडल सहित),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

**विषय:- अनुपयोगी (Abandoned) पुल-पुलियों एवं इससे संबंधित स्कैप के नीलामी (Auction) करने के संबंध में।**

**प्रसंग:-** विभागीय पत्रांक-6433 (E)we दिनांक-19.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि अपने प्रमंडलाधीन अनुपयोगी पुल-पुलियों एवं इससे संबंधित स्कैप इत्यादि के नीलामी (Auction) हेतु पहले भी इस कार्यालय के पत्रांक-6834(E)we दिनांक-07.10.2025 एवं पत्रांक-8769(E)we दिनांक-31.12.2025 के द्वारा पत्राचार किया गया है, किन्तु अभी तक नीलामी से संबंधित सूचना अप्राप्त है।

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा पुनः निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं :-

(1) अनुपयोगी पुल-पुलियों एवं इससे संबंधित स्कैप इत्यादि का Survey Report विभागीय संकल्प सं०-3829(S) दिनांक-05.07.2023 के अनुसार विहित प्रपत्र (Annexure-III) में तैयार कर अपने संबंधित मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में न्यूनतम दर (Reserve Price) निर्धारण की प्रक्रिया यथाशीघ्र की जाय।

(2) उक्त संकल्प के कंडिका-8(ख) एवं (ग) के अनुसार संबंधित मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में न्यूनतम विक्रय मूल (आरक्षित मूल्य) निर्धारण हेतु समिति का गठन किया जाय।

(3) विभागीय आदेश सं०-5750(S) दिनांक-27.06.2025 के आलोक में संबंधित पथ प्रमंडल (रा०उ०प० प्रमंडल सहित) अपने जिला के निकटतम कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार को सदस्य के रूप में नामित किया जाय।

(4) MSTC (मेटल स्कैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड), भारत सरकार के उपक्रम द्वारा नीलामी की प्रक्रिया कर नियमानुसार राजस्व जमा किया जाय।

इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O.

ज्ञापांक-----

पटना, दिनांक-----

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-15/4/26

ज्ञापांक-2524(E)w

प्रतिलिपि:- आई-टी मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को (i) विभागीय संकल्प सं०-3829(S) दिनांक-05.07.2023 (ii) विहित प्रपत्र (Annexure-III) (iii) विभागीय आदेश सं०-5750(S) दिनांक-27.06.2025 पत्र को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।  
अनु०:-यथोक्त।

*AKK*  
13/04/26

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

*Wang*  
13-04-2026

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

आदेश

कृपया निर्दिष्ट  
शाखा

आ०सं०-1/स्था०-07/2025

5750 (5) पटना दिनांक 27/6/25

विभागीय संकल्प संख्या-5560 (एस) दिनांक 23.06.2025 द्वारा यांत्रिक उपभाग का पुनर्गठित किया गया है। उक्त संकल्प के आलोक में पदों का नामकरण एवं संरचना निम्नवत है :-

मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के पद का नामकरण एवं पुनर्गठन				
नियंत्रण	क्र० सं०	कार्यालय का पूर्व नाम	कार्यालय का परिवर्तित नाम	मुख्यालय
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), प०नि०वि०, बिहार, पटना	1	मुख्य अभियंता (या०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना	मुख्य अभियंता (या०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना	पटना
अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के पदों के नामकरण एवं पुनर्गठन				
नियंत्रण	क्र० सं०	कार्यालय का पूर्व नाम	कार्यालय का परिवर्तित नाम	मुख्यालय
मुख्य अभियंता (या०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना	1	मुख्य अभियंता (या०) के सचिव (प्रा०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, पटना	मुख्य अभियंता (या०) के सचिव (प्रा०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, पटना	पटना
	2	अधीक्षण अभियंता (या०), यांत्रिक अंचल, प०नि०वि०, पटना	अधीक्षण अभियंता (या०), यांत्रिक अंचल, उत्तर बिहार	पटना
	3	अधीक्षण अभियंता (या०), रा०उ०प० यांत्रिक अंचल, प०नि०वि०, पटना	अधीक्षण अभियंता (या०), यांत्रिक अंचल, दक्षिण बिहार	पटना
	4	अधीक्षण अभियंता (या०), यांत्रिक अंचल, प०नि०वि०, दरभंगा	अधीक्षण अभियंता (या०), यांत्रिक अंचल, सीमांचल	दरभंगा

कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) के पदों के नामकरण एवं पुनर्गठन				
नियंत्रण	क्र० सं०	कार्यालय का पूर्व नाम	कार्यालय का परिवर्तित नाम	क्षेत्रीय विस्तार
मुख्य अभियंता (या०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना	1	कार्यपालक अभियंता (या०) योजना, मुख्य अभियंता (या०) का कार्यालय, पटना	कार्यपालक अभियंता (या०), बजट, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	2	अधीक्षण अभियंता (या०) रा०उ०प० यांत्रिक अंचल, पटना के तकनीकी सलाहकार	कार्यपालक अभियंता (या०), अनुश्रवण, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)

	3	अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल, प०नि०वि०, दरभंगा के तकनीकी सलाहकार	कार्यपालक अभियंता (यां०) योजना, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	4	अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल, प०नि०वि०, पटना के तकनीकी सलाहकार	कार्यपालक अभियंता (यां०), तकनीकी उन्नति, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल, उत्तर बिहार,	5	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वेशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर
	6	कार्यपालक अभियंता (यां०) यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, आरा	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज
	7	कार्यपालक अभियंता (यां०) रा०उ०प०, यांत्रिक योजना प्रमंडल, पटना	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, सड़क सुरक्षा, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल, दक्षिण बिहार	8	कार्यपालक अभियंता (यां०), रा०उ०प०, यांत्रिक प्रमंडल, डेहरी ऑन-सोन	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, डेहरी ऑन-सोन	रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर
	9	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना	पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर
	10	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, भागलपुर	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, भागलपुर	भागलपुर, बाँका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
	11	कार्यपालक अभियंता (यां०), रा०उ०प०, यांत्रिक प्रमंडल, नवादा	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, गया	गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल
अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल, सीमांचल	12	कार्यपालक अभियंता (यां०), कर्मशाला यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, खगड़िया	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, खगड़िया	खगड़िया, बेगुसराय, सहरसा, मधुपुर, सुपौल
	13	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, दरभंगा	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
	14	कार्यपालक अभियंता (यां०), रा०उ०प०, यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पूणियाँ	पूणियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया

सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पदों के नामकरण एवं पुनर्गठन

नियंत्रण	क्र० सं०	कार्यालय का पूर्व नाम	कार्यालय का परिवर्तित नाम	क्षेत्रीय विस्तार
मुख्य अभियंता (यां०), यांत्रिक उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना	1	सहायक अभियंता योजना (यां०), मुख्य अभियंता (यां०) का कार्यालय	सहायक अभियंता योजना (यां०), मुख्य अभियंता (यां०) का कार्यालय	पटना
	2	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, डेहरी ऑन-सोन	सहायक अभियंता (यां०)-1, बजट एवं योजना, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	3	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, छपरा	सहायक अभियंता (यां०)-2, बजट एवं योजना, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	4	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, मोहनिया	सहायक अभियंता (यां०)-3, बजट एवं योजना, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	5	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, बख्तियारपुर	सहायक अभियंता (यां०)-4, बजट एवं योजना, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	6	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ	सहायक अभियंता (यां०)-1, अनुश्रवण, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
	7	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, मोतिहारी	सहायक अभियंता (यां०)-2, अनुश्रवण, प०नि०वि०, पटना	मुख्यालय (मु०-पटना)
कार्य० अभि० (यां०), सड़क सुरक्षा यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना	8	सहायक अभियंता योजना (यां०), मुख्य अभियंता (यां०) का कार्यालय	सहायक अभियंता (यां०)-1, सड़क सुरक्षा	मुख्यालय (मु०-पटना)
	9	सहायक अभियंता योजना (यां०), मुख्य अभियंता (यां०) का कार्यालय	सहायक अभियंता (यां०)-2, सड़क सुरक्षा	मुख्यालय (मु०-पटना)
	10	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक योजना अवर प्रमंडल, पटना	सहायक अभियंता (यां०)-3, सड़क सुरक्षा	मुख्यालय (मु०-पटना)
अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल दक्षिण बिहार	11	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहपुर	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल दक्षिण बिहार	पटना
अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल उत्तर बिहार	12	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक कर्मशाला अवर प्रमंडल, पटना	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल उत्तर बिहार,	पटना
अधीक्षण अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल,	13	सहायक अभियंता (यां०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अंचल, सीमांचल	दरभंगा

सीमांचल				
कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना	14	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल स०-1, प०नि०वि०, पटना	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना	पटना, (मु०-पटना)
	15	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल स०-2, प०नि०वि०, पटना	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, आरा	भोजपुर, (मु०-आरा)
	16	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, बिहारशरीफ	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, बिहारशरीफ	नालदा, (मु०-बिहारशरीफ)
	17	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, गया	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, बक्सर	बक्सर, (मु०-बक्सर)
कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, सारण (छपरा)	18	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, आरा	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, छपरा	सारण, (मु०-छपरा)
	19	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, बक्सर	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, सिवान	सिवान एवं गोपालगंज, (मु०-सिवान)
कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, भागलपुर	20	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, भागलपुर	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, भागलपुर	भागलपुर एवं बाँका, (मु०-भागलपुर)
	21	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मुंगेर	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई, (मु०-मुंगेर)
कार्यपालक अभियंता (यां०), कर्मशाला यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, खगडिया	22	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, खगडिया	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, खगडिया	खगडिया एवं बेगुसराय (मु०-खगडिया)
	23	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, सहरसा	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, सहरसा	सहरसा, सुपौल, एवं मधेपुरा (मु०-सहरसा)
कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, पूर्णिया	24	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, पूर्णिया	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, पूर्णिया	पूर्णिया एवं अररिया (मु०-पूर्णिया)
	25	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मधुबनी	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, कटिहार	कटिहार एवं किशनगंज (मु०-कटिहार)
कार्यपालक अभियंता (यां०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, दरभंगा	26	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, दरभंगा	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, दरभंगा	दरभंगा एवं मधुबनी (मु०-दरभंगा)
	27	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, समस्तीपुर	सहायक अभियंता (यां०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, समस्तीपुर	समस्तीपुर (मु०-समस्तीपुर)

कार्यपालक अभियंता (या०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर	28	सहायक अभियंता (या०), रा०उ०प० यांत्रिक भंडार अवर प्रमंडल, पटना	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, वैशाली	वैशाली (मु०-हाजीपुर)
	29	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, सितामढी, शिवहर (मु०-मुजफ्फरपुर)
	30	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मोतिहारी	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, मोतिहारी	पुर्वी-चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण, (मु०-मोतिहारी)
कार्यपालक अभियंता (या०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, डेहरी ऑन-सोन	31	सहायक अभियंता (या०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, डेहरी ऑन-सोन	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, डेहरी-ऑन-सोन	रोहतास एवं कैमुर, (मु०-डेहरी)
	32	सहायक अभियंता (या०), रा०उ०प० चलंत यांत्रिक अवर प्रमंडल, दुर्गावती	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, औरंगाबाद	औरंगाबाद (मु०-औरंगाबाद)
कार्यपालक अभियंता (या०), यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०, गया	33	सहायक अभियंता (या०), रा०उ०प०, यांत्रिक अवर प्रमंडल, आरा	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, गया	गया, जहानाबाद एवं अरवल (मु०-गया)
	34	सहायक अभियंता (या०), रा०उ०प० यांत्रिक अवर प्रमंडल, नवादा	सहायक अभियंता (या०), यांत्रिक अवर प्रमंडल, प०नि०वि०, नवादा	नवादा (मु०-नवादा)

2. इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

*(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)*  
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :- 1/स्था०-07/2025

5750 S/

पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)*  
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :- 1/स्था०-07/2025

5750 S/

पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प०/यांत्रिक सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प०/यांत्रिक सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प०/यांत्रिक सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


*(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)*  
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापाक :- 1/स्था०-07/2025

5750 (S)

पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
27.06.25


अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापाक :- 1/स्था०-07/2025

5750 (S)

पटना, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
27.06.25

अवर सचिव (प्र०को०)

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग  
संकल्प

विषय :- पथ निर्माण विभाग एवं इनके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों यथा उपभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/ निगम/संस्थान के लिए अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्क्रैप, यंत्र-संयंत्र एवं सभी प्रकार के निष्प्रयोज्य योग्य वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर समिति गठित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम-131 ज (ड) के तहत नामांकन के आधार पर नीलामी प्रक्रिया मेसर्स मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन (एम०एस०टी०सी०) लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्शन द्वारा करने की स्वीकृति के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग एक कार्य विभाग है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर सरकार के पथों एवं पुलों की महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्वरूप देने की कार्रवाई विभिन्न उपभागों/अंचलों/प्रमंडलों के साथ-साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जाती है, ताकि राज्य के सुदूर स्थानों से पाँच घंटे में राजधानी पहुँचने का लक्ष्य पूरा हो एवं सांस्कृतिक विरासत, कृषि उत्पादन क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण बाजारों तक पहुँच आसान बन सके। विदित हो कि विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/निगमों/संस्थानों में काफी मात्रा में अनुपयोगी मशीन, उपस्कर, स्क्रेप, यंत्र-संयंत्र एवं अनेक प्रकार के वाहन इत्यादि बेकार पड़े हैं, जिसका विभाग में अब कोई उपयोग नहीं हो सकता एवं इससे रख-रखाव के दृष्टिकोण से विभाग का काफी जगह अनावश्यक रूप से अवरूढ़ है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों यथा - उपभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/निगम/संस्थान के लिए भी अनुपयोगी मशीनों/उपस्करों/स्क्रेप/यंत्र-संयंत्र/ एवं सभी प्रकार के वाहन के निष्प्रयोजित तथा एम०एस०टी०सी० के माध्यम से ई-ऑक्शन हेतु अलग-अलग समिति का गठन प्रत्येक स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इससे आवश्यक सामग्रियों का निस्तारण भी उचित तरीके से हो जायेगा एवं विभागीय स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में बेकार सामग्रियों के कारण स्थान का उपभोग भी किया जा सकेगा। उक्त निस्तारण से विभाग को ई-ऑक्शन में पारदर्शिता के साथ-साथ एक समुचित राशि भी प्राप्त हो सकती है।

2. विभागीय वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों के वित्त विभागीय दिशा-निर्देश 5216 दिनांक 29.06.2016 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-आर०डब्ल्यू-24011/5/93- आर० एम० पी०, दिनांक 30.12.1993 के आलोक में सेवाकाल/चालन क्षमता (परिशिष्ट-1 संलग्न) पूर्ण होने के बाद

P.T.O.....

वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों को निष्प्रयोजित घोषित कर ई-ऑक्सन की कार्रवाई की जा सकेगी। उपर्युक्त कंडिका में अंकित निर्धारित सेवाकाल पूर्ण होने के बाद वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों को निष्प्रयोजित घोषित करके ई-ऑक्सन की कार्रवाई की जा सकती है।

3. उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने के पूर्व भी वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों के रद्दीकरण और ई-ऑक्सन की कार्रवाई की जा सकती है यदि :-
  - (i) वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों की बड़ी दुर्घटना से ग्रस्त होने की स्थिति में मरम्मत पर बहुत अधिक व्यय आकलित हो या/और
  - (ii) वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों की मरम्मत पर अत्यधिक व्यय हो रहा हो अथवा अत्यधिक व्यय किया जा चुका हो।
4. जो विभागीय वाहन/मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि उपयोग के लायक नहीं रह जाए या, जो वाहन/मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि बार-बार खराब हो रहा हो और जिसकी मरम्मती पर अत्यधिक व्यय हो रहा हो, उसे समय पर निष्प्रयोजित घोषित कराकर ई-ऑक्सन कराने की व्यक्तिगत जवाबदेही वाहन/मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि के प्रभारी पदाधिकारी की होगी। उनका दायित्व होगा कि वैसी स्थिति में वाहन/मशीन एवं यंत्र-संयंत्रों आदि की जाँच वित्त विभाग के पत्र संख्या-एम-42/99/4653 दिनांक- 27.07.1999 की कंडिका-5 के आलोक में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) से कराकर विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2 संलग्न) में वाहन/मशीन एवं यंत्र-संयंत्र आदि के रद्दीकरण का प्रस्ताव उचित माध्यम से गठित समिति के अध्यक्ष को यथाशीघ्र भेजें।
5. निष्प्रयोजित घोषित वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य वाहन/मशीन एवं यंत्र-संयंत्र की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा, परन्तु प्रस्तावित समिति द्वारा सरकारी उपयोग के लिए निष्प्रयोजित घोषित वाहन/मशीनों एवं यंत्र-संयंत्रों आदि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय वाहन के ह्रास मूल्य और सालवेज भैल्यू दोनों को ध्यान में रखा जायेगा।
6. अनुपयोगी उपस्कर (जिसका सेवाकाल निर्धारित नहीं है)/ फर्नीचर/अलमारी/स्क्रेप के मामले में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त कारणों को उद्धृत करते हुए तथा उनका अनुमानित मूल्य आकलन कर निष्प्रयोजित घोषित करने का प्रस्ताव (परिशिष्ट-3 संलग्न) उचित माध्यम से समिति के अध्यक्ष को भेजा जायेगा। समिति द्वारा वास्तविक स्थिति के आधार पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित कर निष्प्रयोजित घोषित किया जा सकेगा तथा ई-ऑक्सन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। पच्चीस हजार रुपये से कम मूल्य के अनुपयोगी उपस्कर/फर्नीचर/अलमारी/स्क्रेप के मामले में समिति के पास भेजने तथा ई-ऑक्सन की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु, सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

P.T.O....

7. निष्प्रयोजित घोषित अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्कैप/यंत्र संयंत्रों एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों की नीलामी से प्राप्त राशि को एक सप्ताह के अन्दर कोषागार में जमा करने की व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी, जिसके स्तर से ई-ऑक्शन की गई है।
8. इस काम में पथ निर्माण विभाग एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/निगमों/संस्थानों की अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/ स्कैप/ यंत्र संयंत्रों आदि एवं विभिन्न प्रकार के वाहन को निष्प्रयोजित घोषित करने हेतु तथा न्यूनतम विक्रय मूल्य (आरक्षित मूल्य) निर्धारण हेतु निम्न रूपेण समिति का गठन किया जायेगा।
- (क) विभागीय मुख्यालय स्तर के लिए
- |  |         |
|--|---------|
| (i) मुख्य अभियंता (यांत्रिक)-  | अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक (क्रय एवं परि०)-   | सदस्य   |
| (iii) अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)-I -                                       | सदस्य   |
| (iv) आंतरिक वित्तीय सलाहकार)-  | सदस्य   |
| (v) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक),<br>रा०उ०प० यांत्रिक योजना प्रमंडल, पटना- | सदस्य   |
- (ख) उपभाग/अंचल/प्रमंडल स्तर के लिए
- |   |         |
|---|---------|
| (i) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता-  | अध्यक्ष |
| (ii) संबंधित अधीक्षण अभियंता-   | सदस्य   |
| (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता-  | सदस्य   |
| (iv) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक),<br>निकटतम यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि० - | सदस्य   |
| (v) स्थानीय जिला लेखा पदाधिकारी/वित्त विभाग के प्रतिनिधि-                 | सदस्य   |
- (ग) निगम के लिए
- |  |         |
|--|---------|
| (i) मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी-                                     | अध्यक्ष |
| (ii) संबंधित अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारी-                          | सदस्य   |
| (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी-                       | सदस्य   |
| (iv) कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक),<br>निकटतम यांत्रिक प्रमंडल, प०नि०वि०- | सदस्य   |
| (v) विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार-                                     | सदस्य   |
9. उक्त समिति को समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करने का अधिकार पथ निर्माण विभाग को होगा।
10. उक्त समिति द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्कैप/यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न
- P.T.O....

प्रकार के वाहनों को निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के पश्चात् एम०एस०टी०सी०, जो इस्रात मंत्रालय, भारत सरकार का एक लोक उपक्रम है, के द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्क्रेप/यंत्र संयंत्र आदि एवं विभिन्न प्रकार के वाहन ई-ऑक्शन के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी की जायेगी :-

- (i) पथ निर्माण विभाग के साथ एम०एस०टी०सी० लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) एक करार करेगी, जिसके तहत एम०एस०टी०सी० लिमिटेड विभाग के लिए सीधे तौर पर सेलिंग एजेन्ट होगी।
- (ii) उपरोक्त समिति द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/स्क्रेप/यंत्र संयंत्र आदि एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों के निष्प्रयोजित घोषित किये जाने के बाद संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी जिन्हें विक्रेता पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर / स्क्रेप/यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों की सूची एम०एस०टी०सी० लिमिटेड को उपलब्ध करायेगे।
- (iii) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड विक्रेता पदाधिकारी के लिए सीधे तौर पर सेलिंग एजेन्ट होगी।
- (iv) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड की ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाइट से की जायेगी, साथ ही ई-ऑक्शन हेतु निविदा की सूचना एवं प्रचार-प्रसार एम०एस० टी० सी० लिमिटेड के द्वारा की जायेगी।
- (v) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/ स्क्रेप/ यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों आदि का विस्तृत कैटलॉग बनाकार ई-ऑक्शन हेतु ई-ऑक्शन की तिथि से कम-से-कम 21 दिन पूर्व संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करेगी।
- (vi) प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपस्कर/ स्क्रेप/यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न प्रकार के वाहनों का समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (आरक्षित मूल्य) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाइट पर ई-ऑक्शन हेतु 07 दिन पूर्व तक अपलोड कर दिया जाएगा।
- (vii) ई-ऑक्शन के उपरान्त ई-ऑक्सन का परिणाम एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप एम०एस०टी०सी० लिमिटेड द्वारा चयनित बिडर से इ०एम०ओ०/सेक्युरिटी डिपोजिट प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी के वास्ते प्राप्त करेगा तथा संबंधित क्रेता के साथ करार करेगा एवं तीन प्रतिशत सेवा शुल्क (करों एवं शुल्कों को छोड़कर) काटते हुए विक्री मूल्य को संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को ऑनलाईन/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सौंप देगा जिसे प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा।

P.T.O....

- (viii) एम०एस०टी०सी० लिमिटेड द्वारा विक्रेता पदाधिकारी को ऑनलाईन/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिक्री मूल्य को सौंपने के उपरान्त उनकी ओर से चयनित विडर को डिलीवरी ऑर्डर निर्गत किया जायेगा।
- (ix) यदि ई-ऑक्शन में कोई प्रतिभागी भाग नहीं लेता है तो एम० एस०टी०सी० द्वारा कोई राशि नहीं ली जायेगी।
- (x) ई-ऑक्शन की गई सामग्रियों का उठाव चयनित एजेन्सी द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर करना बाध्यकारी होगा जिसकी सीमा विशेष परिस्थिति में विक्रेता पदाधिकारी की सहमति से घटाई भी जा सकती है।
11. उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्नरूपेण प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी घोषित किया जायगा।

क्रमांक	संस्थान	नामित पदाधिकारी
1	मुख्यालय	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
2	उपभाग/अंचल/प्रमंडल	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
3	निगम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

12. अतः उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित शर्तों के साथ पथ निर्माण विभाग एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के अनुपयोगी मशीनों, उपकरणों, रक्रेप, संत्र-संयंत्र एवं सभी प्रकार के निष्प्रयोज्य योग्य वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम-131 ज्ञ (ड) के तहत नामांकन के आधार पर नीलामी प्रक्रिया मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एम०एस०टी०सी०) लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्शन द्वारा की जायेगी।
13. इसमें माननीय उप मुख्य(पथ निर्माण) मंत्री, बिहार का अनुमोदन सहित विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
15. इसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शैलजा शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

P.T.O....

ज्ञापक:- 4/स्था०(विविध)मु०-06-20/2021 38 29 (3) पटना, दिनांक 5 7 23  
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने हेतु  
प्रेषित।

(शैलजा शर्मा)

सरकार के अपर सचिव  
28/7/23

## APPENDIX-III

### Report of unusable Equipment/Furniture/Almirah/Scrap Etc.

Sl. No.	Description of unusable Equipment/Furniture/Almirah/Scrap Etc.	No./ Quantity	Estimated Value		Date of Receipt	Remark of Officer-In-charge/Executive Engineer regarding reason of Condemning the Items.
			Rate	Amount		
1	2	3	4	5	6	7